

11-11-25 वकील रेसॉर्ट उपस्थित। अपीलान्त स्वयं या
उसके अधिकृत उपस्थित नहीं आए जिनको
उपस्थित आने बाबत कई बार आवाजे लगवायी
गयी, किन्तु उपस्थित न्यायालय नहीं आने से
अपील अपीलान्त अदम हाजरी अदम पैरवी
में खासियत की जाती है। अल्पिनस्थ न्यायालय
का अभिलेख वापस लौटाया जावे। फत्रावली
फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करावायी
जावे।

जिला कलेक्टर, बुंदेलखण्ड